भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 28 / 2015 / एफ.सी. /964

दिनॉकः 04-11-15

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः जनपद एटा में टूण्डला–एटा मार्ग (एस0एच0–31) किमी0 32–33 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम– जिलावली के गाटा संख्या–131 खसरा संख्या–393 (स) पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.092 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी65 / 14–2–2015–800(84) / 2015, दिनांक–14.10.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी32 / 14–2–2015–800(84) / 2015, दिनांक– 07.08.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 26.08.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद एटा में टूण्डला–एटा मार्ग (एस0एच0–31) किमी0 32–33 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम– जिलावली के गाटा संख्या–131 खसरा संख्या–393 (स) पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.092 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक / आर0टी0जी0एस0 / एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात्

4/11/15

एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (232.44 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।

5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

3/11/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ0 प्र0।
5. टेरीटरी सेल्स मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा, उ0 प्र0।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली

3/11/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

Government Of India, Ministry Of Environment & Forests
Regional Office (Central Region)

MINISTRY FILE NUMBER 7-UPB028/2015-LUC

LE NUMBER 8B/UP/06/28/2015/FC

Filing

Name of the Proposal	*APPROACH ROAD TO ESSAR OIL LTD ON SH-31 TUNDLA -ETA ROAD KM.32-33 GATA.131*
.Category	Road
.State Govt. Letter Number	P-32/14-2-2015-800(84)/2015
.Date of application	07/08/2015
.Date of receipt	11/08/2015
.District	ETA
7.State	UP
8.Regional Office Letter Number	8B/UP/06/28/2015/FC
9.Regional Office Letter number(old)	NA
10.Year	2015

Processing

1. LOCATION

a) Village JINAWALI

b) Location ETA

2. PARTICULAR OF FOREST

a) Name of Forest Div. SF ETA

b) Forest Area Involved in ha. .092

c) Map Yes

d) Legal Status :- i) RF : 0 ii) PF : .092 iii) Van Panchyat : 0 iv) Civil Swyam : 0 v) PF for Management Purpose : 0 vi) Others: 0

3.IN CASE OF ROAD/ CANAL/ RAILWAY LINE/ TRANSMISSION LINE

a) Total Length(in Kms.) 0

b) Total Width(in Mtrs.) 0

c) Total Area(in Ha.) 0

4. VEGETATION DENSITY .2

5. NUMBER OF TREES TO BE FELLED 0

6.WHETHER ANY RARE/ENDANGERED/UNIQUE SPECIES OF FLORA & FAUNA FOUND IN THE AREA.

No

If so details thereof NA

7.WHETHER THE AREA IS W/L SANCTUARY OR NATIONAL PARK

No

If yes consent of IBWL NA

8. WHETHER THE PROPOSED FOREST LAND IS UNAVADIABLE & BAREST MINIMUM.

Yes

9. COMPENSATORY AFFORESTATION

a) Particulars of forest land Tree Planting

b) Map Yes

c) Comprehensive Scheme NA

d) Area in ha. 0

e) Planting Trees 0

f) Land Suitability Certificate

10. VIOLATION IF ANY.. No

a) If yes justification of condonation

b) Penal CA

i) Particulars of forest land

ii) Map

iii) Comprehensive Scheme

iv) Area in ha. 0

v) Tree Planting 0

11. CATCHMENT AREA TREATMENT

a) Map NA **b) Comprehensive Scheme** NA

12. REHABLITATION

a) Particulars of Land NA **b) Map** NA

c) Comprehensive Scheme NA **d) Land Use Plan** NA

13. GEOLOGIST REPORT

Not Required

14. COST BENEFIT ANALYSIS

Not Required

15. RECOMMANDATION OF

a) DFO Yes **b) PCCF/NO** Yes **c) Government** Yes

d) Local Body Yes **e) Others**

16) Site Inspection Report By DFO / CF :

Remarks NO REMARK ENTERED

Recommendation

Recommended for

EDS for following informations

1 PART IV LEFT BLANK THERE IS NO SIGNATUE NO SEAL OF COMPETENT AUTHORITY
2 FRA CRETIFIATE IS INCOMPLETE

Submitted to CCF for order.

11/8/2015

2

3

Reference nsp 1-2

The forest land diversion proposal for retail outlet on SH-31 between 32-33 km of Essar Oil Limited in Jilawali village of Etah District; the proposal has also been submitted vide letter no. P 32/14-2-2015-800(84)/2015 dated 7th August 2015 from Special Secretary, Department of Forests, Government of Uttar Pradesh. The details of forest land proposed for diversion is provided below

Sr No.	Forest Division	Details of forest land area (in ha)	Legal Status	Crown Density	Eco Class	No. of trees
1	Social Forestry Division Etah	0.092	Protected Forests	0.02	Eco III	NIL

After careful examination of the proposal following discrepancies/issues have been noted and the same needs to be redressed from the concerned authorities of the State Government. The details are provided below:

1. Page 10 of the proposal the corrections made with ink have not been authenticated by the concerned authorities.
2. Part IV of the proposal is blank and the same needs to be filled up by the designated state authority.
3. Page 27 and 28 regarding notification of the protected forest has been authenticated by the concerned Range Officer.
4. The map for location of compensatory afforestation is not in digital format on page 45. The key points of the proposed site of compensatory afforestation are to be marked with latitude and longitude on a geo referenced digital map in KML file and the data needs submission in electronic medium like CD, pen drive etc.
5. The undertaking on page 47 and 48 are to be signed by the concerned DCF.
6. On page 62 the location map does not have index and location marking has been done by a pencil.
7. The geo referenced map of proposed forest land for diversion does not have latitude and longitude of key points and the digital data KML/.shp file needs submission in CD or pen drive.
8. The undertaking provided on page 64 and 65 are same and both have not countersigned by the concerned DCF.
9. The calculation of NPV for the proposed forest area needs submission.

In view of the above observations; if approved, we may return the proposal to the Special Secretary Forest Department, Government of Uttar Pradesh for rectification of inherent flaws and submission of requisite documents along with rectified proposal.

The file is submitted for your perusal and necessary directions, please.

14/8/15

Conservator of Forests
RO-MOEF &CC, Lucknow

APCCF

In addition,

4 Employment to be generated has not been quantified.
Map on P. 52 may be checked.

CF

17.8.15

letter as per foregoing

6 ~~कृपया~~ प्रारूप प्रस्तुत है।

मुख्य सहायक ग्रेड-I
20/8/2015

7 Draft letter is placed for perusal and approval, please.

[signature] 20/8/15

APCCF

8 N-7 – observation on N.4 has not been incorporated.

[signature] 21.8.15

CF

9. Details of employment to be generated is mentioned at page 2 of the proposal which is flagged.

The file is re-submitted for perusal and approval of the draft letter, pls.

[signature] 21/8/15

~~APCCF~~

[signature] 21.8.15

~~CF~~

[signature] 21/8/15

M.s. Malg

10. स्वच्छ प्रति ह० हेतु प्रस्तुत है।

मुख्य सहायक
25/8/2015

[signature] 25/8/15

Dispatch

पत्र सं० (721)
निर्गत किया

26-8-15

11. PUC – 96/c

विशेष सचिव उ०प्र० शासन का पत्रांक पी-65/14-2-2015-800(84)/2015 दिनांक 14/10/2015 द्वारा इस कार्यालय से चाही गयी सूचनाएं (इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26/8/2015) उपलब्ध करायी गयी है K.M.L. FILE एवं डिजिटल मैप की C.D संलग्न का प्रेषित की है। आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है

[signature]
19/10/2015

व० स० (क०)

12 1. The response of query raised vide letter no. 8B/06/28/2015/FC/721 dated 26th August 2015 has been provided by the spl. secretary, Forest placed at 96/c with details from Nodal officer 95/c.

2. The .kml file of both proposed forest diversion and compensatory afforestation is appended in digital form.

13 The proposal is in order. If approved, stage I clearance may be accorded to this. The file is submitted for favour of directions, please.

[signature]
20/10/15

APCCF

N – 13 – Yes.

[signature]
23.10.15

CF

Submit draft approval letter.

Mr Lalji

[signature]
26/10/15

Draft for approval, Pls.

[signature] 28/10/15

~~APCCF~~

शर्त संख्या - 4 को जाँच कर पुनः प्रस्तुत करें।

[signature] 2.11.15

~~CF~~

Mrs Mala

Pls put up a corrected draft.

[signature] 3/11/15

स्वच्छ प्रति ह0/- हेतु प्रस्तुत है।

[signature] 3/11/2015

प्र0/अ0

संशोधित प्रारूप पुनः प्रस्तुत है।

[signature] 3/11/15

~~अप्रमुवसं~~

[signature] 3.11.15

~~CF~~

[signature] 3/11/15

Mrs Mala

स्वच्छ प्रति ह0/- हेतु प्रस्तुत है।

[illegible]

[signature] 3/11/2015

पत्रांक0 (964)

निर्गत/प्रेषित

[signature] 04/11/15